

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या 168722/XXX(2)/2023-E 49520
देहरादून, दिनांक: 15 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

"उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2023"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का प्रतिस्थापन

2. "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004" के नियम 6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

6. भर्ती का स्रोत— (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6. भर्ती का स्रोत— (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी;

(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल

पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;

परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अम्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अम्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

परन्तु यह और कि चयन वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के लिये अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 45 प्रतिशत तक की रिक्तियों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 25 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 20 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से भरा जा सकता है।

(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा।

पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत, जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत, जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय के समूह 'घ' में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों, तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में समूह 'घ' से पदोन्नति हेतु चिन्हित रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा।

(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय के वाहन चालकों में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में वाहन चालक से पदोन्नति हेतु चिन्हित

टिप्पणी— लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

जहां टंकण संवर्ग में भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जाएगी। टंकण परीक्षा में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी:

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

रिक्त पदों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

टिप्पणी— लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जाएगी। टंकण परीक्षा में 2400 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी:

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

Signed by Shailesh

Bagauli

Date: 14-11-2023 17:00:29

(शैलेश बगौली)

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: 74664 /XXX-2/2023-E 39403
देहरादून: दिनांक: 13 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना संख्या: 74662 /XXX-2/2023-E 39403 दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2023' की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
15. गार्ड फाईल।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

Signed by Shailesh
Bagauli

Date: 13-12-2023 12:07:44

(शैलेश बगौली)

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: 74662/XXX(2)/2023-E 39403
देहरादून: दिनांक: 13 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2016 में अग्रेतर संशोधन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2023 है;
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 के 4(1) का संशोधन

- उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 4 के उप नियम 4(1) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4(1)- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(1)- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 22 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

Signed by Shallesh
Bagauli

Date: 13-12-2023 12:06:59

(शैलेश बगौली)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-348/XXX(2)/2016-03(02)का0-2/2010
देहरादून: २२ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015" में संशोधन करने की उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2016

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2016' है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 4 के 4(1) का संशोधन 2- उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015 के नियम 4 के उपनियम 4(1) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

4(1)- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4(1)- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हर्योकी)
प्रभारी सचिव

(16)

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 864/XXX (2)/2012-55(20)/2002

देहरादून दिनांक 30/08/2012

अधिसूचना

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके 'उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-4 के खण्ड (ग) के अन्त में परन्तुक का अन्तःस्थापन

2. उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली 2002 के नियम 4 के खण्ड (ग) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्

परन्तु यह कि समूह 'ग' के जिन पदों पर प्रोन्नति जनपद स्तर से भिन्न स्तर के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जानी हों, तो उक्त पदों पर पदोन्नति के लिए चयन समिति निम्नवत् गठित की जायेगी:-

1. विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी - अध्यक्ष
2. अपर विभागाध्यक्ष/समकक्ष अधिकारी - सदस्य
3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम - सदस्य

निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी जो सम्बन्धित पद के पर्यवेक्षक की हैसियत रखते हों।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार कोटिया)

प्रमुख सचिव।